रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042025-262184
CG-DL-E-01042025-262184

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] नई दिल्ली, रविवार, मार्च 30, 2025/चैत्र 9, 1947
No. 103] NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 30, 2025/CHAITRA 9, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2025

मामला सं. एडी (एसएसआर) – 03/2025

विषय: चीन जन. गण. और हांगकांग से, बुने हुए कपड़े (जिसमें 50% से अधिक फ्लैक्स सामग्री हो), जिसे आमतौर पर "फ्लैक्स फैब्रिक" के रूप में जाना जाता है, के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

फा. सं. 7/05/2025– डीजीटीआर.— 1. जबकि मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड - जय श्री टेक्सटाइल्स (जिसे इसके बाद "आवेदक" के रुप में भी कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से, समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रुप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" के रुप में भी कहा गया है) के अनुसार, चीन जन. गण. और हांगकांग (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" के रुप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "बुने हुए कपड़े (जिसमें 50% से

अधिक फ्लैक्स सामग्री हो)", जिसे आमतौर पर "फ्लैक्स फैब्रिक" के रूप में जाना जाता है, (जिसे इसके बाद "सबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" के रुप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रुप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले वापस न ले लिया जाए, ऐसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. विगत जांचों की पृष्ठभूमि

3. चीन जन. गण. और हांगकांग से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच प्राधिकारी द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 2008 की अधिसूचना संख्या 14/8/2008 - डीजीएडी के तहत शुरू की गई थी। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17/02/2009 को शुरुआती जांच परिणाम जारी किए गए थे, जिसमें चीन जन. गण. और हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्स फैब्रिक्स के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। अनंतिम शुल्क दिनांक 26 मार्च, 2009 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 30/2009 - सीमा शुल्क के तहत लगाए गए थे। प्राधिकारी ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/08/2008 - डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे, जिसमें संबद्ध देशों से फ्लैक्स फैब्रिक्स के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। संबद्ध वस्तुओं पर दिनांक 21 दिसंबर, 2009 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 142/2009 - सीमा शुल्क के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

4. प्राधिकारी ने दिनांक 10 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/30/2013 - डीजीएडी के तहत पहली निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की और जांच पूरी की। इसके बाद प्राधिकारी ने दिनांक 9 जून 2015 की अधिसूचना संख्या 15/30/2013 - डीजीएडी के तहत चीन जन. गण. और हांगकांग से फ्लैक्स फैब्रिक के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को बढ़ा दिया था। इसे दिनांक 12 अगस्त, 2015 की अधिसूचना संख्या 39/2015 - सीमा शुल्क के तहत लगाया गया था।

5. इसके बाद प्राधिकारी ने दिनांक 23 दिसंबर 2019 की अधिसूचना संख्या 7/26/2019 - डीजीटीआर के तहत दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की और जांच पूरी की। इसके बाद प्राधिकारी ने दिनांक 17 अगस्त 2020 की अधिसूचना संख्या 7/26/2019 - डीजीटीआर के तहत चीन जन. गण. और हांगकांग से फ्लैक्स फैब्रिक के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को बढ़ा दिया था। इसे दिनांक 10 नवंबर 2020 की अधिसूचना संख्या 35/2020 - सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत लगाया गया था।

ख. विचाराधीन उत्पाद

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में परिभाषित उत्पाद के समान है, जो इस प्रकार है :

"विचाराधीन उत्पाद "फ्लैक्स फैब्रिक" है, जो चीन जन. गण. और हांगकांग के मूल का अथवा वहां से निर्यात किया जाता है, जिसे सामान्यतः सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 53 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। "फ्लैक्स" और "लिनन" समानार्थी शब्द हैं और फ्लैक्स शब्द को लिनन के रूप में भी जाना जाता है तथा इसे बुने हुए बिस्तर, बाथटब, टेबल और रसोई के वस्त्रों के वर्ग का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि परंपरागत रूप से फ्लैक्स का उपयोग तौलिये, चादर आदि के लिए व्यापक रूप से किया जाता था। इस उत्पाद को

सीमा शुल्क टैरिफ अध्याय 53 के अंतर्गत उप शीर्ष 53.09 में वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

बुने हुए कपड़े (जिसमें 50% से अधिक फ्लैक्स सामग्री होती है) जिन्हें आमतौर पर "फ्लैक्स फैब्रिक" के रूप में जाना जाता है, जिन्हें घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किया जाता है और जिन्हें संबद्ध देशों से आयात किया जाता है, वे समान वस्तुएं हैं और नियमों के तात्पर्य से विचाराधीन उत्पाद हैं।"

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ग्रेड-वार उत्पादन विवरण के अनुसार, घरेलू उद्योग ने 30-50% फ्लैक्स सामग्री वाले कपड़े का उत्पादन किया है। यह कुल उत्पादन का 0.62% है। चूंकि घरेलू उद्योग 50% तक फ्लैक्स सामग्री वाले कपड़े का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहा है, अत: प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि विचाराधीन उत्पाद में फ्लैक्स सामग्री 50% से अधिक है।"

7. चूंकि वर्तमान जांच वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्कों की एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अत: विचाराधीन उत्पादों का दायरा मूल जांच के समान ही है।

8. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 53 के अंतर्गत उप शीर्ष 5309 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। आवेदक ने यह कहा है कि संबद्ध वस्तुओं को उप शीर्ष 5309 के तहत आयात किया जा रहा है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह किसी भी तरह से इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. समान वस्तु

9. आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। पाटित किए गए आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और आवेदक द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता, कार्यों अथवा अंतिम उपयोगों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसीलिए नियमों के तहत इन्हें 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है। समान वस्तु के मामले की जांच प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में भी की जा चुकी है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग

10. यह आवेदन मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड - जया श्री टेक्सटाइल्स द्वारा दाखिल किया गया है। आवेदक के संबंधित पक्ष ने विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं की नगण्य मात्रा का आयात किया है। आवेदक विषयगत देशों में विषयगत वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित नहीं है।

11. आवेदन ग्लोबल इमेजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, गोवर्धन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, जगदंबा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, रेमंड लग्जरी कॉटन्स लिमिटेड और सचदेवा फैब्रिक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थित है।

12. उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया गया है, भले ही नियम 5 (3) की आवश्यकताएं निर्णायक समीक्षा आवेदन में लागू नहीं होती हैं।

ड़. संबद्ध देश

13. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन और हांगकांग हैं।

च. पाटन और पाटन मार्जिन को जारी रखना

चीन के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रुप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, तब तक उनके सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध I के नियम 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

15. अत: वर्तमान जांच शुरुआत के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रुप में माना है और भारत में भुगतान योग्य कीमत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। सामान्य मूल्य का निर्माण आवेदक घरेलू उत्पादक की उत्पादन की अनुमानित लागत के आधार पर किया गया है, जिसे उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

हांगकांग के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने यह दावा किया है कि हांगकांग में कीमत से संबंधित डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।

17. अत: जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए, आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना की गई है, जिसे उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के साथ समायोजित किया गया है। प्राधिकारी जांच के दौरान सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए हितबद्ध पक्षकारों और आवेदक द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य की आगे जांच करेंगे।

निर्यात कीमत

18. आवेदक ने बाजार की जानकारी के आधार पर सीआईएफ निर्यात कीमत का दावा किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से लेन देन वार आयात डेटा के आधार पर संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत की गणना की है। चूंकि जानकारी सीआईएफ आधार पर है, अत: इसे समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय और अंतर्देशीय माल भाड़ा व्यय के लिए समायोजित किया गया है।

पाटन मार्जिन

19. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सामान्य मूल्य और निर्धारित निर्यात कीमत के आधार पर, यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन चीन जन. गण. और हांगकांग के लिए सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। यह देखने में आया है कि संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रहा है।

छ. क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और कारणात्मक संबंध

20. आवेदक ने पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही निरंतर क्षति के संबंध में *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक है। पाटित

आयातों के चलते कीमतों पर दबाव आने से यह आवेदक को अपनी लागत को पूरी तरह वसूलने और उचित दर पर प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतों में बदलाव करने से रोक रही है। आवेदक वित्तीय हानि का सामना कर रहा है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि आगे भी क्षति होने की संभावना है।

21. आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना, *प्रथम दृष्टया,* संबद्ध देशों से पाटन की पुनरावृत्ति होने और पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना को दर्शाती है।

ज. पाटनरोधी जांच की अंतिम समीक्षा की शुरूआत

22. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, जो पाटन और क्षति के जारी रहने/ पुनरावृत्ति होने की संभावना को प्रमाणित करता है तथा अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियम 23(1ख) के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा यह जांच करने के लिए अंतिम समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

झ. जांच की अवधि (पीओआई)

23. जांच के लिए जांच की अवधि अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 (12 माह) तक है। क्षति जांच की अवधि में अप्रैल 2021 - मार्च 2022, अप्रैल 2022 - मार्च 2023, अप्रैल 2023 - मार्च 2024 और जांच की प्रस्तावित अवधि शामिल है। जांच की अवधि उचित है, क्योंकि यह सबसे हाल ही में शुरू की गई है, जो कि शुरू होने की तारीख से 6 माह के भीतर है।

ञ. प्रक्रिया

24. वर्तमान जांच में नियम 6 के तहत निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना की प्रस्तुति

25. सभी पत्राचार ईमेल पते dd17-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए, जिसके साथ ही एक प्रति adv13-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in और dgtr-india@gov.in पर भी भेजी जानी चाहिए

26. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्च योग्य पीडीएफ/ एमएस- वर्ड फार्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फार्मेट में हों।

27. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को, जो संबद्ध वस्तुओं से संबद्ध हैं उन्हें अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दाखिल कर सकें। ऐसी सभी सूचनाएं इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से दाखिल की जानी चाहिए।

28. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर कर सकता है।

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकार को उसका एक अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराना आवश्यक है।

30. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रिया से अद्यतन और अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

31. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से dd17-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए, जिसके साथ ही इसकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in और dgtr-india@gov.in पर उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल आवेदन का अगोपनीय पाठ निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा अथवा पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए मांग करने वाली सूचना उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी, जिस दिन इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया गया था। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा नियमों के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

32. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे तत्काल इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें।

33. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण का प्रदर्शन करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

34. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को नियमावली के नियम 8(2) तथा इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसी का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन नहीं किए जाने पर उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकृत किया जा सकता है।

35. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली उत्तर सहित कोई भी अनुरोध (इसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता है।

36. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकन किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन किए बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

37. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होनी चाहिए जो गोपनीय प्रकृति की हैं और/ अथवा अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए, जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, तो सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

38. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होनी चाहिए जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा खाली रखा जाना चाहिए (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और ऐसी सूचना को उचित रूप से और पर्याप्त रूप से संक्षेप में दिया जाना चाहिए जो उस सूचना पर निर्भर करता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है।

39. अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, अपवाद की परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा नियमावली, 1995 के नियम 8 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के साथ कारणों का ऐसा विवरण कि ऐसा सारांश प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

40. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 31 के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 07 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

41. गोपनीयता के दावे पर नियम 8 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा पर्याप्त और समुचित कारण विवरण तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

42 प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के अनुरोध की आवश्यकता नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य रुप में अथवा सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।

43. प्राधिकारी, संतुष्ट होने और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार किए जाने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

44. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध के अगोपनीय पाठ को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध के अगोपनीय पाठ को परिचालित करने में विफलता के कारण इस जांच शुरुआत अधिसूचना की धारा ण के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

ण. असहयोग

45. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर अथवा बाद में अलग से पत्राचार के माध्यम से प्रदान की गई समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2025

Case No. – AD(SSR)-03/2025

Subject: Initiation of Sunset Review investigation concerning imports of Woven Fabric (having more than 50% Flax content) commonly known as "Flax Fabric" from China PR and Hong Kong..

F. No. 7/05/2025-DGTR.—1. Whereas M/s Grasim Industries Limited-Jaya Shree Textiles (hereinafter referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the " Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), for Sunset Review of Anti-Dumping investigation concerning imports of "Woven Fabric (having more than 50% Flax content)" commonly known as "Flax Fabric" (hereinafter referred as the "subject goods" or "product under consideration"), originating in or exported from China PR & Hong Kong (hereinafter referred to as the "subject countries").

2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. BACKGROUND OF PREVIOUS INVESTIGATIONS

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from China PR and Hong Kong was initiated by the Authority vide Notification No. 14/8/2008- DGAD dated 3rd October 2008. The preliminary finding was issued by the Authority on 17/02/2009, recommending provisional antidumping duty on the imports of Flax Fabrics originating or exported from China PR & Hong Kong. The provisional duties were imposed vide Customs Notification No. 30/2009-Customs dated 26th March, 2009. The Authority notified final findings vide Notification No. 14/08/2008-DGAD dated 1st October, 2009 recommending definitive antidumping duty on imports of Flax Fabrics from the subject countries. The definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 142/2009- Customs dated 21st December, 2009.

4. The Authority initiated 1st sunset review investigation vide Notification No.15/30/2013-DGAD dated 10th March, 2014 and conducted the investigation. The Authority thereafter extended the definitive anti-dumping duties vide Notification No.15/30/2013-DGAD dated 9th June 2015 on imports of Flax Fabric from China PR and Hong Kong. The same was imposed vide Notification No. 39/2015-Customs/ dated 12th August, 2015.

5. Thereafter, Authority initiated 2nd sunset review investigation vide Notification No.7/26/2019-DGTR dated 23rd December 2019 and conducted the investigation. The Authority thereafter extended the definitive anti-dumping duties vide Notification No. 7/26/2019-DGTR dated 17th August 2020 on imports of Flax Fabric from China PR and Hong Kong. The same was imposed vide Notification No. 35/2020-Customs (ADD) dated 10th November 2020.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

6. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the original investigation which is as follows:

"The product under consideration is "Flax Fabric" originating in or exported from China PR and Hong Kong is normally classified under Chapter 53 of the Customs Tariff Act. "Flax" and "Linen" are synonyms and the word flax is also known as Linen and can be used as in generic term to describe a class of woven bed, bathtub, table and kitchen textiles because traditionally flax was widely used for towels, sheets etc. This product is classified under Customs Tariff Chapter 53 at subheading 53.09. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

Woven fabric (having more than 50% flax contents) commonly known as "Flax Fabric" produced by the domestic industry and those being imported from the subject countries are like articles and is the Product under Consideration within the meaning of the rules".

The Authority notes that as per the grade-wise production statement, the domestic industry has produced fabric having flax content of 30-50%. This is 0.62% of the total production. As the domestic industry is not making substantial production of fabric having flax content of up to 50%, the Authority has therefore concluded the product under consideration to have flax content of more than 50%"

7. Since the current investigation is a Sunset Review investigation into anti-dumping duties currently in force, the scope of the products under consideration is the same as that in the original investigation

8. The subject goods are classifiable under Chapter 53 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-headings 5309. The Applicant has stated that subject goods are being imported under sub-headings 5309. However, the custom classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

C. LIKE ARTICLE

9. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. The present application is for sunset review investigation for the continued imposition of antidumping duty. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original investigation as well. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration produced and imported from the subject countries.

D. DOMESTIC INDUSTRY

10. The Application has been filed by M/s Grasim Industries Limited - Jaya Shree Textiles. The related party of the applicant has imported insignificant quantity of the subject goods from the subject countries. The applicant is not is related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries.

11. The application is supported by Global Images (India) Pvt. Ltd., Govardhan Overseas Pvt. Ltd., Jagdamba Textiles Private Limited, Raymond Luxury Cottons Ltd. and Sachdeva Fabric World Pvt. Ltd.

12. On the basis of information available, the Authority is satisfied that the Application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules, even though the requirements of Rule 5(3) are not applicable in sunset review application.

E. SUBJECT COUNTRIES

13. The subject countries in the present investigation are China and Hong Kong.

F. CONTINUATION OF DUMPING AND DUMPING MARGIN

Normal Value for China

14. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to production and sales of the subject goods. Unless the Chinese producers show that market economy conditions prevail, their normal value should be determined in terms of Rule- 7 of Annexure I of the Rules.

15. Therefore, for the purpose of the present initiation, the Authority has considered China PR to be a non-market economy and determined normal value for China PR based on price payable in India. The normal value has been constructed based on estimated cost of production of the Applicant domestic producer, duly adjusted for selling, general, and administrative expenses with reasonable profits.

Normal Value for Hong Kong

16. The applicant has claimed that the data relating to price in Hong Kong is not available in the public domain.

17. Therefore, for the purpose of initiation, the normal value has been calculated based on the cost of production of the applicant duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin. The Authority will further examine the evidence provided by the interested parties and the applicant for the determination of normal value during the investigation.

Export price

18. The applicant has claimed CIF export price based on market intelligence. The Authority has computed the export price for the subject countries based on the DG System transaction wise import data. Since the information is on CIF basis, it has been adjusted for ocean height, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight expenses.

Dumping margin

19. Based on the normal value and the export price determined, as stated above, it is seen that the dumping margin is positive and significant for China PR and Hong Kong. It is seen that the dumping of the subject goods has continued.

G. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK

20. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the continued injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. Import volume has increased significantly. The price undercutting from the subject countries is positive. The price suppression caused by dumped imports have been preventing the applicant from moving its prices to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return. The applicant is suffering from financial losses. The applicant has also claimed that there is a likelihood of further injury.

21. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows likelihood of recurrence of dumping from the subject countries and injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duty.

H. INITIATION OF SUNSET REVIEW OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

22. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and itself on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

I. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

23. The POI for the investigation is from Oct 2023 to Sept 2024 (12 months). The injury examination period covered April 2021 – March 2022, April 2022 – March 2023, April 2023 – March 2024 and the proposed period of investigation. The period of investigation is appropriate, as it is most recent, within 6 months from the date of initiation.

J. PROCEDURE

24. The principles as stipulated under Rule 6 Rules shall be followed in the present investigation.

K. SUBMISSION OF INFORMATION

25. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd17-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adv13-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in and dgtr-india@gov.in

26. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

27. The known producers/exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

28. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

29. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

30. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay update and apprised with the information as well as further processed related to the investigation.

L. TIME LIMIT

31. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email to dd17-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adv13-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in and dgtr-india@gov.in within thirty (30) days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the ADD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

32. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

33. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the ADD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

34. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/ submissions.

35. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non- Confidential versions separately.

36. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

37. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

38. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

39. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

40. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 07 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of paragraph 31 of this initiation notification.

41. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

42. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.

43. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. INSPECTION OF PUBLIC FILE

44. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non- confidential versions of submissions might lead to action under Section O of this initiation notification.

O. NON-COOPERATION

45. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.04.01 15:43:41 +05'30'